संख्या- 01/2019/ **जी**-1-21/**दस**-2019-213/1998 **टीसी**

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक : 09 मई, 2019

विषयः- बाध्य प्रतीक्षा अवधि को कर्तव्य काल माना जाना।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक की बाध्य प्रतीक्षा अवधि को कर्तव्य काल माने जाने हेतु वित्त विभाग को सन्दर्भित होने वाले प्रकरणों के निस्तारण में प्राय: कतिपय आवश्यक सूचनाओं एवं अभिलेखों के अभाव में विलम्ब होता है।

2- अत: समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि बाध्य प्रतीक्षा अवधि को कर्तव्य काल माने जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को सन्दर्भित करने से पूर्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चत कर लिया जाये कि संलग्न प्रपत्र में इंगित सूचनायें एवं सम्बन्धित आभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध हैं तथा प्रपत्र पर वांछित सूचनायें टिप्पणी में अंकित करते हुए ही प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 01/2019/ **जी**-1- 21 (1)/**दस**-2019, **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(2) महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) समस्त जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(5) सचिव, श्री राज्यपाल।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-01 /2019/ जी-1-21/दस-2019-213/1998 टीसी, दिनांक 09 मई, 2019 का संलग्नक।

क्रमांक	वांछित सूचना	सूचना/अभिलेख/प्रमाण-पत्र
1-	कर्मचारी का नाम।	
2-	पदनाम	
3-	वेतनमान	
4-	बाध्य प्रतीक्षा की अवधि।	
5-	बाध्य प्रतीक्षा पर रहने का कारण।	
6-	सम्बिन्धत अधिकारी /कर्मचारी द्वारा तैनाती/कार्यभार ग्रहण करने हेतु किये गये प्रयास।	
7-	प्र0वि0 द्वारा अभिलेखीय आधार पर यह संस्तुति कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी बाध्य प्रतीक्षा पर रहने हेतु किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है तथा कार्यभार ग्रहण कर कर्तव्य(ड्यूटी) करने हेतु तत्पर रहा गया है। सम्बन्धित अभिलेख भी संलग्न किये जायें।	

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।